उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-11
संख्या-217/2026/I/1400754/2026/23-11099(099)/89/2026
लखनऊ: दिनांक 17 जुलाई, 2026

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-212/2026/I/1396715/2026/23-11099(099)/89/2026, दिनांक 15.07.2026 के माध्यम से राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 05 चालू कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू0 1550.00 लाख (रूपये पंद्रह करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करने की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 15.07.2026 की तालिका के क्रमांक 01 पर उल्लिखित जनपद/खण्ड का नाम निर्माण खण्ड, चन्दौली के स्थान पर प्रान्तीय खण्ड, वाराणसी अंकित हो गया है, जिसे अब निर्माण खण्ड, चन्दौली पढ़ा व समझा जाय।

3- इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 15.07.2026 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित माना व समझा जाय तथा यह शुद्धि-पत्र शासनादेश संख्या-212/2026/I/1396715/2026/23-11099(099)/89/2026, दिनांक 15.07.2026 के साथ पठित होगा।

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
11- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन|
13- राज्य योजना आयोग- 1/2, उ0प्र0 शासन ।
14- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन ।
16- नोडल अधिकारी (ऑन लाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन|
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।